न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(12)

निगरानी 1700-II/15/201

114
25.4.15

1. रमेशुरा पिता गोजे काछी उम्र करीब 48 वर्ष,
2. मोतीलाल पिता भिम्मा काछी उम्र करीब 50 वर्ष,
3. राधे पिता छोटुवा काछी उम्र करीब 35 वर्ष, सभी निवासी ग्राम बिजौरी, तह0–मानुपर, थाना–मानुपर, जिला–उमरिया (म0प्र0)।

क्रमांक 5520
रजिस्टर्ड पोस्ट आज
दिनांक .... प्राप्त

..........आवेदकगण

बनाम्

क्लर्क ऑफ कोर्ट

1. रमईया पिता मंगलिया काछी उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम बिजौरी, तह0–मानुपर, थाना–मानुपर, जिला–उमरिया (म0प्र0)।
2. म0प्र0 शासन द्वारा राजस्व विभाग।

..........अनावेदकगण

श्री रमेशुरा काछी द्वारा आज दिनांक 25.4.15 को पेश

रीडर कोर्ट

निगरानी आदेश न्यायालय तहसीलदार मानुपर जिला–उमरिया (म0प्र0) के प्रकरण कमांक 46/अ/12/2013–14 निर्णय दिनांक 02.07.2014 अन्तर्गत धारा 50 (म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

यह कि ग्राम–बिजौरी, पट0ह0–बिजौरी, रा0नि0मं0–मानपुर, तह0–मानपुर जिला–उमरिया (म0प्र0) की आ0ख0क0 696 रकवा 0.450 हे0 जिसके भूमि स्वामी व स्वत्वाधिकारी आवेदक क0 1 व 2 तथा आवेदक क0 3 के पिता छोटुवा है तथा उक्त आराजी आवेदकगण के पूर्वज भीमरोन पिता शिवदयाल काछी की जमीन थी तथा आवेदकगण अपने पूर्वजो के जमाने से काबिज कास्त चले आ रहे है जिस पर आवेदकगणो के खेत, बगिया आदि बनी है जिस पर आवेदकगण शांतिपूर्वक काबिज कास्त है तथा अनावेदक क0 1 रमईया जो कि आवेदक के समीप आ0ख0क. 697 का कास्तकार है ने बिना नक्शे मे तरमीम किए अपनी जमीन का सीमांकन का आवेदन तहसीलदार मानुपर के यहाँ प्रस्तुत किया जिसमे रा0नि0

//2//

...लिखत मे ... दर्ज नही किया ... आपत्ति के बाद विचार करना तो दूर ... महोदय को विचार ... जो आदेश विधि एवं नियम के ... पेश है जो कि निरस्त योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1700–दो/2013 निगरानी जिला उमरिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-09-17	निगरानी की ग्राह्यता पर एंव अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। यह निगरानी तहसीलदार मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 46 अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20–7–2014 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय में दिनांक 25–4–15 को प्रस्तुत की गई है। 2/ नौ माह से अधिक विलम्ब के सम्बन्ध में आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार मानपुर के आदेश दिनांक 20–7–2014 की जानकारी आवेदकगण को दिनांक 23–12–14 को उस समय हुई जब अनावेदक ने वाद विचारित भूमि पर कब्जा छुड़ाने की धमकी दी। सीमांकन पर आवेदकगण ने 30–6–14 को आपत्ति लगाई थी किन्तु बिना सूचना दिये ही सीमांकन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जाय एंव निगरानी सुनवाई में ग्राह्य की जाय। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के अनुसार उन्होंने सीमांकन पर 30–6–14 को आपत्ति लगाई है, जबकि तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–7–14 इस प्रकार है :– **" नियत तारीख को मौके से उपस्थित होकर सीमांकन कार्य किया गया व मौके पर स्थल पर पंचनामा तैयार किया गया। सीमांकन से संतुष्ट होकर आवेदक एंव उपस्थित ग्रामीणजनों के व्दारा हस्ताक्षर किया है । सीमांकन पश्चात् आज दिनांक तक कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई। "** उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार की आपत्ति	

प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कारण अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिया गया विवरण समाधान कारक नहीं है। यदि मामले में गुणदोष पर भी विचार किया जावे, जैसाकि आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया है कि विचाराधीन सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित हुई है यदि आवेदकगण स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानते हैं तव वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ सहायक अधीक्षक/अधीक्षक भू अभिलेख से अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्तंत्रत हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में तहसीलदार मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 46 अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20–7–2014 में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है। फलतः निगरानी इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य